संख्या-०९ /2022/337।/52-2-2022-2(1)बजट/2020

प्रेषक,

गुलाब,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक।8नवम्बर, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में 03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-3266/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-आवं0/2022-23 दिनांक 25.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संगत मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में निर्गत 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) की धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-6/2022/1165/52-2-2022-2(1)बजट/2020 दिनांक 24.05.2022 द्वारा उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-48 के अधीन लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 न्यायाधिकरण के अधिष्ठान मद के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए रू0 92.92 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु अनुदान संख्या-048 के लेखा शीर्षक-2070-800-03 के अन्तर्गत विभिन्न प्रश्नगत 04 मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 173.66 के सापेक्ष 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 57.88 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 115.78 लाख (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2022-23 का बजट प्राविधान	पूर्व में 04 माहों (अप्रैल से जुलाई,2022) हेतु स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	104.86	34.95	69.91
2	03-मंहगाई भत्ता	38.80	12.93	25.87
3	55-मकान किराया भत्ता	5.00	1.67	3.33
4	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	8.33	16.67
	योग	**173.66**	**57.88**	**115.78**

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार में आहरण आवश्कतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक न होगी।
2. कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।
4. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।
5. उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गयें मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-048 के **"लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के अधिष्ठान मद"** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2020-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3371 (1)/52-2-2022- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गुलाब)
संयुक्त सचिव।